न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री कर्मवीर सिंह (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–99/2022

शशि

बनाम

कुलदीप वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी
उपस्थिति– 1. श्री रामअवतार गौड एडवोकेट– वादीगण
2. श्री योगेश शर्मा एडवोकेट– प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 18/9/25

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 वास्ते निस्तारण पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. इन तथ्यों के साथ पेश किया कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र में मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है प्रतिवादी संख्या 6 श्यामसुंदर का निधन वाद दायरी से पूर्व हो चुका है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा पोषणीय नहीं है। साथ ही वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 9 में वादीगण ने असत्य वादकारण अंकित किया है तथा मृत व्यक्ति वाद हेतुक उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता हैं। वाद पत्र बिना किसी हेतुक के है इसलिए विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी/प्रतिवादी शिवराम के पिता हरविलास पुत्र मुरली ने आराजी ख.न. 1453 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 11.11.1986 विधिवत रूप से अजय पुत्र वृजकिशोर से क्रय किया था तथा कब्जा एवं स्वत्व प्राप्त किया था तथा अन्य प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 11 के पक्ष में भी भिन्न–भिन्न विक्रय पत्र विवादित आराजी के सम्बन्ध में निष्पादित हुऐ है तथा पंजीबद्ध हुए है, उक्त सभी विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करायो बिना वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। वीदगण ने स्वयं को वृजकिशोर के उत्तराधिकारी अंकित करते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया है, कानूनन उत्तराधिकारी उद्घोषित करवाये बिना यह वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा उत्तराधिकार के बिन्दु को राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही उत्तराधिकार के बिन्दु को तय किया जा सकता है। लिहाजा वाद पत्र वादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में दिनांक 5.8.2020 को वाद दायरी से पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण हो चुका है इसलिये वाद पत्र वादी समाअत करने का न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी को विधि द्वारा वर्जित मानते हुए अस्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 शामिल पत्रावली किया जाकर वकील वादी को नकल दिलायी गयी । वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 का जबाव इन तथ्यों के साथ पेश किया कि यदि कोई पक्षकार वादपत्र में पक्षकार है तो उसके वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिया जायेगा ना कि वादपत्र को खारिज किया जायेगा। वाद कारण किसी एक वयक्ति विशेष से न होकर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण के प्रति पैदा हुआ है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादपत्र की कार्यवाही को देरीना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिजी है । प्रार्थी जिन

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

Scanned with CamScanner

विकय पत्रों के बारे में अंकन कर रहा है वह वादीगण के हिस्से काश्त तक शून्य है जिन्हे किसी भी न्यायालय से उत्तराधिकार से निरस्त कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण को किसी भी सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार तय कराने की आवश्यकता नहीं है वादीगण प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा कराये जाने का अनुतोष चाहता है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया है कि जबाव प्रार्थना पत्र उत्तरदाता/वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 श्यामसुंदर का निधन वाद दायरी से पूर्व हो चुका है तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा पोषणीय नहीं है। साथ ही वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 9 में वादीगण ने असत्य वादकारण अंकित किया है तथा मृत व्यक्ति वाद हेतुक उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता हैं। वाद पत्र बिना किसी हेतुक के है इसलिए विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश कीः–

1. 2023 (2)DNJ(Rev.) 1224
2. 2025 (2)DNJ(SC) 652

बहस के दौरान वकील वादी द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि यदि कोई पक्षकार वादपत्र में पक्षकार है तो उसके वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिया जायेगा ना कि वादपत्र को खारिज किया जायेगा। वाद कारण किसी एक वयक्ति विशेष से न होकर सम्पूर्ण प्रतिवादीगण के प्रति पैदा हुआ है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादपत्र की कार्यवाही को देरीना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिजी है । अन्त में निवेदन किया है कि जबाव प्रार्थना पत्र उत्तरदाता/वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश कीः–

1. RRT 2014(2) pg 1263
2. RRT 2011(2) pg 1433
3. RRT 2014(2) pg 10

हमने बहस वकील उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर गहन विश्लेषण करने से पूर्व हम यहॉ ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी.1908 का उद्धरण किया जाना उचित समझते है जो कि इस प्रकार हैः–

वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा–

(क) जहॉ वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहॉ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि से वर्जित है।

(ड़) जहॉ यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।

(च) जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधों की अनुपालना करने में असफल रहता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner

वकील वादी द्वारा अपने वादपत्र की मद संख्या 9 में वाद हेतुक प्रतिवादीगणों द्वारा इन्कारी एवं ऐलानिया धमकी के कारण उत्पन्न होना बताया है जबकि प्रतिवादी संख्या 6 श्यामसुन्दर वाद दायरी से पूर्व ही फौत हो चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण ने जो वाद हेतुक उत्पन्न होना बताया है , वह स्पष्ट रूप से असत्यपूर्ण तथ्यों पर आधारित है तथा दोषपूर्ण वाद हेतु ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के उपबंध (क) के तहत वाद–हेतुक प्रकट नहीं होने की श्रेणी में माना जायेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर विचाराधीन प्रकरण संख्या 99/2022 शशी बनाम कुलदीप वगै0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज यह निर्णय दिनांक 18/9/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

(कर्मवीर सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

Scanned with CamScanner